न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 56/2025

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक जिला– टोंक ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 31.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 19.05.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

हम वद्ध दम्पती है मैं खडा रहने मे सक्षम नही हूं। दिनांक 23.12.2024 को अति आवश्यक रजि0 डाक देने हम किसी प्रकार आटों में मुख्य डाक घर टोंक दिन में करीब 2 बजे गये तो काउन्टर पर बैठे कार्मिक ने यह कहकर मना कर दिया कि लाईट नहीं आ रही है, जबकि जिला मुख्यालय होने के कारण वहां बडा व लाखो रूपये का जेनरेटर सरकार ने लगा रखा है।

आदि बाबत कार्मिक ने कोई जवाब नही दिया। करीब एक घंटे तक मैं प्रायः अपंग होने से आटो में ही बैठा रहा, करीब 3 बजे कार्मिक ने बताया कि यदि अब लाइट आ भी जाती है तो भी वो रजिस्ट्री नहीं करेगा। चूंकि डूटी 3 बजे तक ही है।

वहां रजिस्ट्री कराने वाले बहुत से लोग बडे बूढे व लडकियां आदि धक्के खा रहे थे अति ठन्डा मौसभ होने से सबकी हालत खराब व शर्मनाक हो रही थी लेकिन जैनरेटर स्टार्ट नहीं किया गया। हम लौंग भी रोते पिटते दुःखी मन से वापस आ गये।

जिला कलक्टर होने के नाते आपका फर्ज है कि इस शर्मनाक हालात को अति ही गंभीरता से लें, एक–एक पल की आप मानवता के नाते गहराई से स्वयं जांच करें विषेश तौर पर हम वृद्धजन "प्राय : अपाहिज" की पीडा व दर्द को स्वयं पर बीती मान दोषी प्रबन्धन डाक विभाग से हमें हुई असहनीय पीडा के तौर पर कम से कम एक लाख का मुआवजा भी दिलायें जो कि नजीर बने डाक अधीक्षक को पाबन्द करें कि वो लिखित में एवं स्वयं हमारे घर आकर दोषी कर्मी के साथ माफी भी मांगे जिसका मीडिया भी आम पब्लिक में प्रसारण करें जिससे आम–जन भी जागरूक हो ।

जिला कलैक्टर महोदय कृपया विषेश तौर पर ध्यान दें कि चन्द बेशर्म कार्मिक एवं जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के चलते हम जैसे की मिट्टी पलीत होती है और बेवजह ही सरकार की अच्छी छवि भी आम–जन में खराब होती है, अंतः अविलम्ब ही इस प्रकरण को गहनता ही नहीं अपितु अति ही गहनता से लेकर बुझे भी प्राथमिक सूचना भिजवाने की सुनिश्चितता करावें ताकि अनावश्यक लिखा पडी व मुझ जैसे वृद्ध जो कि प्रायः अपाहिज है अब और परेशान व दुःखी ना होना पड़े।

जिला कलेक्टर
टोंक

691

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1195 दिनांक 2.07.2025 व 1355 दिनांक 22.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 712 दिनांक 28.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 527 दिनांक 28.05.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 528–29 दिनांक 28.05.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अधीक्षक मुख्य डाकघर टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक